न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–आर.के. जायसवाल, आई.ए.एस , कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

प्रकरण संख्या :– 53/2019 (आर0सी0एम0एस0 नं0 2019/00092)

व उनवानी प्रकरण :–

1. भूरा ऊर्फ अजीत सिहं पुत्र सुरेश जाति ठाकुर निवासी सिकरौदा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर ———— प्रार्थी ।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग जिला कलैक्ट्रैट धौलपुर———— अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/ नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1962

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री रामअवतार गौड अभिभाषक।
2. अप्रार्थी की ओर से :– सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी ।

निर्णय दिनांक 13.2.2020

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः 4896 दिनांक 30.10.2013 के अवगत कराया कि प्रार्थी व उसके परिवारीजन के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 74/2013 धारा 323, 341, 452, 354, 382,34 आई. पी. सी. व 3–2(10) 3–2(5) एससी/एसटी अधिनियम का जुर्म प्रमाणित पाये जाने के पश्चात् अभियुक्त सुरेश व राजबीर को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रार्थी एवं शेष की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं । प्रार्थी एवं अन्य अभियुक्तगण आपराधिक पृष्ठभूमि एवं शातिर किस्म के होने के कारण घटना दिनांक से ही पुलिस गिरफ्तारी से बचते फिर रहे हैं। प्रार्थी की 82 जा0 फौ0 की कार्यवाही 37 पुलिस एक्ट के बारण्ट के पश्चात् न्यायालय द्वारा इश्तहार व स्थाई बारन्ट जारी किया जा चुका है। प्रार्थी के नाम से एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 1/2011 जारी है जिस पर एक एन. पी. बोर रायफल दर्ज है। अभियुक्त द्वारा उक्त आर्म्स का पीडित पक्ष पर प्रभाव एवं शस्त्र के दुरूपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

कारण प्रार्थी के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 1/2011 के निरस्त किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त उक्त रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी द्वारा दिनांक 14.11.2013 को प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये ।

आदेश दिनांक 14.11.2013 से असन्तुष्ट होकर प्रार्थी ने अपील माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर सम्भाग भरतपुर में दायर की। माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 19.9.2019 के द्वारा प्रार्थी की अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 14.11.2013 को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि प्रार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत व स्पीकिंग आदेश पारित करें ।

माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 19.9.2019 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री रामअवतार गौड एवं अप्रार्थी की ओर से सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी उपस्थित हुए।

माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय दिनांक 19.9.2019 की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को भेजते हुए शस्त्र अनुज्ञा पत्र के बहाल /नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.1.2020 के द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा इस अवधि में शस्त्र का कोई दुरूपयोग नहीं किया है। प्रार्थी की पृष्ठभूमि इस अवधि में शून्य रही । प्रार्थी का चाल चलन बहुत अच्छा पाया गया है। आवेदक के विरूद्व मुताविक रिकोर्ड थाना हाजा के मु0 नं0 74/2013 धारा 323, 341, 452, 354, 382, 34 ता0 हि0 व 3–2(10) 3–2(5) एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। उक्त मुकदमा में प्रार्थी के शस्त्र. अनुज्ञा पत्र को दौराने जॉच निरस्त किया गया था। उक्त मुकदमा में माननीय न्यायालय एससी/एसटी धौलपुर ने निर्णय दिनांक 11..2.2016 के द्वारा प्रार्थी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने से गॉव वालों व मुकामी पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। अतः शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल/नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी द्वारा शस्त्र का कभी दुरूपयोग नहीं किया गया है। कभी भी नागरिक सुरक्षा को क्षति पहुँचाने की कोशिश नहीं की है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

रिपोर्ट दिनांक 24.1.2020 के मुताविक प्रार्थी की पृष्ठभूमि इस अवधि में शून्य रही । प्रार्थी का चाल चलन बहुत अच्छा पाया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध मु0 नं0 74/2013 धारा 323, 341, 452, 354, 382, 34 ता0 हि0 व 3–2(10) 3–2(5) एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय एससी/एसटी धौलपुर ने निर्णय दिनांक 11..2.2016 के द्वारा प्रार्थी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में गॉव वालों व पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल/नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की है। उपरोक्त मुकदमा के अलावा प्रार्थी के विरूद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं हैं। प्रार्थी एक सीधा सादा व्यक्ति है। जानमाल की सुरक्षा हेतु प्रार्थी को शस्त्र की आवश्यकता है। अतः प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 1/2011 नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जावे ।

अप्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान तर्क किया कि प्रार्थी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरूद्ध एक मुकदमा थाना कंचनपुर में दर्ज हुआ जिसमें प्रार्थी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है। प्रार्थी एक झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है, जो कभी भी हथियार का दुरूपयोग कर कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति भंग कर सकता हैं। ऐसे हालातों के मद्दे नजर लोकशान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया गया । जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में प्रार्थी बरी हो चुका है। प्रार्थी के विरूद्ध वर्तमान में थाने पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। प्रार्थी का चाल चलन अच्छा है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने प्रार्थी के अनुज्ञा पत्र को बहाल/नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प.1.(13)गृह–9/2006 दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5.2.4) में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन के निस्तारण बावत निर्देश दिये गये हैं कि **"तदन्तर अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्र धारी के आचरण बावत संतुष्टि की जाकर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करेगा।"** राज्य सरकार के परिपत्र की पालना में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल/नवीनीकरण किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भूरा ऊर्फ अजीतसिहं पुत्र सुरेश जाति ठाकुर निवासी सिकरौदा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर के आर्म्स अनुज्ञापत्र को बहाल/नवीनीकरण किया जाना उचित समझते है।

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

अतः प्रार्थी भूरा ऊर्फ अजीतसिहं पुत्र सुरेश जाति ठाकुर निवासी सिकरौदा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 1/2011 बहाल करने एवं दिनांक 1.1.2016 से निरन्तर नवीनीकरण करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को दी जावे। पत्रावली फैसलशुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.2.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

(राकेश कुमार जायसवाल)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर